न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 39/2017 निर्णय दिनांक :– 25.11.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. विनोद दतक पुत्र माधो जाति मीणा नाबालिग जरिए संरक्षक प्राकृतिक पिता रामनिवास पुत्र श्री श्योजी जाति मीणा निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. शांति देवी पत्नी सूरजमल जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
2. भूरी देवी पत्नी जगदीश जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
3. सूरजा पुत्र गेंदा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
4. जगदीश पुत्र गेंदा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
5. दुर्गा पुत्र गेंदा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
6. ~~कालू पुत्र जमना जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)~~ मृतक

6/1 शांति देवी पत्नी स्व. कालू जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

6/2 बाबूड़ी पुत्री स्व. कालू पत्नी छीतर जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

6/3 कमलेशी पुत्री स्व. कालू पत्नी सुरेश जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज.)

6/4 रामअवतार पुत्र स्व. कालू जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

7. सत्यनारायण पुत्र जमना जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
8. ~~सुवा पुत्र ग्यारसा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)~~

8/1 लांदू पुत्र स्व. सुवा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

8/2 प्रकाश पुत्र स्व. सुवा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

8/3 गजानन्द पुत्र स्व. सुवा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

8/4 नन्दकंवर पुत्री स्व. सुवा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

8/5 मनभर पुत्री स्व. सुवा जाति लुहार उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

9. शंकर पुत्र श्री लाल पुत्र स्व. सुवा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

10. सीताराम पुत्र जुवारा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

11. ओंकार पुत्र जुवारा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

12. रामस्वरूप पुत्र जुवारा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

13. कमला पुत्री जुवारा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

14. ~~केसरा पुत्र मांग्या जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)~~

14/1 जयराम पुत्र स्व. केसरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

14/2 सुरेश स्व. पुत्र केसरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

14/3 प्रहलादी स्व. पुत्री केसरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

15. हीरा पुत्र मांग्या जाति मीणा उम्र बालिंग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी ज़िला–टोंक (राज.)

16. रामनाथ पुत्र मांग्या जाति मीणा उम्र बालिग निवासी गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

17. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक (राज.)

18. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आंवा जिला टोंक (राज.)

19. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण (अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक) शाखा आंवा जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री प्रकाश चन्द जैन
श्री अजीत सिंह
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 14/1 ता 14/3, 9 ता 10, 12 ता 13, 15 ता 16
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5, 6/1 ता 6/4, 7 8/1 ता 8/5, 11,18 ता 19

Ga.Rsa

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता नम्बर 63 खसरा नम्बर 203 रकबा 0.64 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.64 है0 वाके तनग्राम गुलाबपुरा पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पहले अडवा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 16 की खातेदारी की भूमि आंराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.38 है. खसरा नम्बर 171 रकबा 0.42 है, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.07 है0 खसरा नम्बर 178 रकबा 0.17 है0 तनग्राम गुलाबपुरा पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में से ही होकर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से अपनी खातेदारी की भूमि में आते–जाते है तथा काश्तकारी कार्य करते हैं। लेकिन विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी को उक्त वर्णित भूमियों में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार हैं। अप्रार्थी नं. 17 लेण्ड हॉल्डर होने व अप्रार्थी नं. 18 व 19 के यहां प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि रहन होने के कारण इन्हें प्रार्थना पत्र में फोरमल पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध प्रार्थी को कोई रिलीफ नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने उपयोग उपभोग करने हेतु उक्त अप्रार्थीगण की भूमि में से ट्रेक्टर, कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने व काश्तकारी हेतु उपयोग–उपभोग के लिए नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे ।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5, 6/1 ता 6/4, 7 ता 8, 8/1 ता 8/5, 11 18 ता 19 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 13, 14, 15, व 16 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न में पेश है– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 जिस तरह से वर्णित किया है,

स्वीकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस तरह से वर्णित किया है. गलत है। खसरा नम्बर 172 रकबा 0.07 है0 व खसरा नम्बर 178 रकबा 0.17 है0 भूमि अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 10, 12 ता 13, 14 ,15 ता 16 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि वाके ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी में स्थित होना स्वीकार है। शेष इबारत गलत है. ओर स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि के डोल लगा हुआ है, उक्त भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा। प्रार्थी के पास अपने खेतों में जाने के लिये अल्टरनेट रास्ते है, प्रार्थी खसरा नम्बर 209 210, तक बने हुये रास्ते से खसरा नम्बर 211 की मैड से 212 तक आसानी से आ रहा है तथा खसरा नम्बर 215 के पास से आ रहे आम रास्ते में से होकर खसरा नम्बर 214, 213, से अपने खेत 203 में आसानी से आ जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी के पास दो अल्टरनेट रास्ते पहले से मौजूद है. ऐसी स्थिति में प्रार्थी गलत प्लीडिंग के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि में लगे हुये डोल से किसी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 3 में प्रार्थी की भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होना स्वीकार है। परन्तु प्रार्थी ने पृथक से प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रोफार्म पर प्रस्तुत नहीं किया इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, ओर स्वीकार नहीं है। यहकि प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, ओर स्वीकार नहीं है, क्योंकि जब पहले से ही अल्टरनेट रास्ते मौजूद है, तो किसी प्रकार की कोई रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ओर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। 6– यहकि प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। **विशेष आपत्तियां** :– प्रतिपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 172 रकबा 0.07है0 बारानी1, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.070 बारानी 1, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.09 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.17 है0 बारानी 1, खसरा नम्बरा 179 रकबा 0.42 बारानी 1 वाके ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है तथा भूमि में लगे हुये मिट्टी के ढोल को नहीं तोड़ने तथा अवैध रूप से रास्ता नहीं निकाले तथा प्रतिपक्षीगण की फसल को नष्ट नहीं करनें तथा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजामहत स्वयं जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर के नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29–5–2017 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है,

उसके उपरान्त भी प्रार्थी वास्तविक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय द्वारा पाबंद होने के उपरान्त भी असत्य तथ्य अंकित झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण के प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हीरा वगे –बनाम– विनोद मु0नं0 13/17 व अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हीरा बनाम विनोद प्रकरण संख्या 74/17 में न्यायालय स्थगन आदेश प्रभावी है। जिसमें प्रार्थी विनोद जरिये संरक्षक पिता रामनिवास को पाबंद कर रखा है, जारी है, तथा न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, इसलिये प्रार्थी द्वांरा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा. टी. ए. मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से श्री बंशीलाल कलवार अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो उक्त जवाब के समान ही पेश किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने मौका रिपोर्ट/जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–मौका निरीक्षण अनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट इस प्रकार हैः–. अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिये रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 4 सीटर एंव चोडाई 228 मीटर यानि कुल 912 वर्गमीटर है जिसमें ख0न0 169 में 100 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई, ख0न0 170 में 35 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई, ख०न० 171 में 40 मीटर लम्बाई एंव 4 मीटर चौडाई, ख0न0 172 में 37 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चोडाई एवं ख0न0 178 में 16 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई होगी। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौडाई एव 228 मीटर लम्बाई में प्रस्तावित है। उक्त भूमि की डीएलसी दर 205500/– रूपये प्रति हेक्टेयर है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी नक़ल संलग्न है। प्रार्थी ख0नं0 169, 170, 171, 172, 178 वाके ग्राम गुलाबपुरा में से रास्ता चाहता है। उक्त भूमिया बैंक में रहन दर्ज है। रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 912 वर्गमीटर होता है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरचना जैसे पेड दीवार नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिये सहमत नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिया. डीएलसी की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। सलंग्न उक्तानसार

बि.१५

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख. नं. 203 रकबा 0.64 है0 में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने स्थगन की कोई प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं करवायी है और न ही पेश की है। तहसीलदार जी दूनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः तहसीलदार जी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को आराजी में जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते अपलब्ध नहीं है। अन्य वाद संख्या 16/17 कालू बनाम विनोद में स्थगन है। वाद के निस्तारण तक रास्ता नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रतिपक्ष के खेतो पर मौके पर डोल लगे हुए है। अन्य वाद 13/17 हीरा बनाम विनोद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं होने व विवादित आराजी भूमि पर स्थगन होने से, प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार के स्थगन कीं प्रमाणित/छायाप्रति पेश नहीं की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 203 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता प्रतिपक्ष द्वारा पेश वाद स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हीरा वगे –बनाम– विनोद मु0नं0 13/17 जो कि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है, न्यायालय में विचाराधीन है व इसी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हीरा बनाम विनोद प्रकरण संख्या 74/17 को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अन्य वाद 16/2017 कालू उर्फ कालूराम वगै. जो कि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है, न्यायालय में विचाराधीन है व इसका प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 100/2017 उनवान कालू उर्फ कालूराम में ख. नं. 169, 170 व 171 में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है। चूंकि उक्त वाद 16/2017 स्थायी निषेधाज्ञा का वाद हे व 100/2017 अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या रामनिवास पुत्र श्योजी व श्योजी पुत्र श्रवणा को पाबन्द किया गया है। प्रार्थना

पत्र 251 ए में प्रार्थी को किसी भी प्रकार से पाबन्द नहीं किया और न ही इस वाद/प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा से अन्य पत्रावली में न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 251 ए की मंशा के अनुरूप रास्ता नहीं रोका जा सकता है। अन्य वेकल्पिक रास्ते बाबत, अप्रार्थीगण ने अन्य कोई रास्ता विधिवत तरीके से नहीं बताया है और न ही किसी भी प्रकार के स्थगन की छायाप्रति/स्थगन अंकित जमाबन्दी पेश की है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी की आराजी ख. नं. 203 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अंतः तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है, की रिपोर्ट व लाल स्याही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टोकरावास के ख. नं. 169 में से चौडाई 4 मी. व लम्बाई 100 मी., ख. नं. 170 में से चौडाई 4 मी. व लम्बाई 35 मी., ख. नं. 171 में से चौडाई 4 मी. व लम्बाई 40 मी., ख. नं. 172 में से चौडाई 4 मी. व लम्बाई 37 मी., ख. नं. 178 में से चौडाई 4 मी. व लम्बाई 16 मी., अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 4 X 228 = 912 वर्ग मीटर है, उक्त भूमि की डीएलसी दर 205560/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, के अनुसार क्षैत्रफल 912 वर्ग मीटर के लिए डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि अथवा वर्तमान डी.एल. सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी संख्या को उसके हिस्से अनुसार संदाय करे । पालना रिपोर्ट 30 दिवस में पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली